

Information/Instructions for applying Solar Water Pumping Systems (2025-26)

हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के लिए 6 श्रेणियों के सोलर पम्प लगवाने हेतु नए आवेदन 08.04.2025 से 21.04.2025 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक किसान सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कम्पनी चुने और लाभार्थी हिस्सा जमा करवायें। इस बारे में आवश्यक सूचना निम्नलिखित है:-

आवश्यक जानकारी:-

1. किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एच.पी. से 10 एच.पी. सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण (surrender) करना पड़ेगा।
3. वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एच.पी. 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCCOMs (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था उन्हें पी.एम.कुसुम योजना के तहत उन्हें सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जायेगी।
4. इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण (land holding) के आधार पर किया जाएगा।
5. किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन करें।
6. किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा बाकि पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
7. पुराने सभी आवेदक (20.02.2024 से 05.03.2024 एवं 11.07.2024 से 25.07.2024 तक के आवेदकों को छोड़कर) भी नये सिरे से आवेदन करें (जिन्होंने अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है)। बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किये गये आवेदन को रद्द माना जायेगा।
8. जिन आवेदकों ने 20.02.2024 से 05.03.2024 एवं 11.07.2024 से 25.07.2024 तक आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं (अगर किसी ने एक से ज्यादा से आवेदन किये है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा)

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज:-

1. परिवार पहचान पत्र(PPP)।
2. आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो।
3. आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों।
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द।
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईपलाइन (Underground Pipeline) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
6. धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
7. सोलर पम्प की स्कीम 2025-26 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (<http://hareda.gov.in>) पर जाए।
8. वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एच.पी. 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCCOMs (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था वे पी.एम.कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल की आवेदन संख्या <https://saralharyana.gov.in> पर अपने आवेदन के साथ दर्ज करें।

पम्प स्थापित करने के लिए पम्प व कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया

- <https://saralharyana.gov.in>/वेबसाईट पर जाकर किसान को सरल पोर्टल की प्रक्रिया के अनुसार लॉग-इन करना है।

- इसके बाद किसान अपनी फ़ैमली आईडी डालकर मैम्बर आईडी चुनने के बाद ओ.टी.पी. से सत्यापित करना है ।
- इसके बाद आवेदक को अपनी जरूरत अनुसार सोलर पम्प की क्षमता का चयन करना है तथा अपने सोलर पम्प को स्थापित करने के लिए अपनी पसंद अनुसार केवल एक कम्पनी का चयन करना है।
- इसके उपरांत फार्म जमा करने पर आपको एक चालान प्राप्त होगा जिसमें लाभार्थी हिस्सा जमा करने के लिए एक **virtual account नम्बर लिखा होगा जोकि हर आवेदक का अलग होता है** । इसके उपरांत आप अपना लाभार्थी हिस्सा इस **virtual account** में **NEFT/RTGS** से किसी खाते से या बैंक में जाकर जमा करवाना होगा ।
- अपने रिकार्ड के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का प्रमाण अपने साथ रखें ।
- आपको अपनी जमीन की फरद, जमा किये गये लाभार्थी हिस्से का प्रमाण सर्वे के समय चयनित कम्पनी को देना होगा ।
- जिसके बाद विभाग द्वारा सभी कम्पनियों को किसान के चयन अनुसार कार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यदि किसान द्वारा चयनित कम्पनी का चयन उसकी तय मासिक क्षमता से अधिक हो या उसका कार्यान्वयन क्षमतानुसार न हो या उसकी अधिकतम अनुमत सीमा से अधिक हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में महानिदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा को आवेदक द्वारा चयनित फर्म को बदलने का अधिकार होगा।

अन्य दिशानिर्देश

- सबसे पहले किसान के खेत में कम्पनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। सर्वे के समय किसान ध्यानपूर्वक अपने पम्प के हेड का चयन करें और सर्वे फार्म पर हस्ताक्षर करें। क्योंकि एक पम्प के तीन प्रकार के हेड होते हैं जिनमें पानी की निकासी हेड अनुसार अलग-अलग होती है। यदि पम्प लगने के बाद किसान अलग हेड का पम्प बदलता है तो उसकी कीमत किसान को वहन करनी होगी।
- पम्प लगने से पहले किसान को खेत में अपने खर्च पर बॉरिंग करवा कर देनी होगी तथा उस बोर की अच्छी तरह से कैविटी की गई हो।
- सभी कम्पनीयों के पैनल स्ट्रक्चर के डिजायन अलग-अलग हो सकते हैं जो कि आई.आई.टी. जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त है। इसीलिए किसान पैनल स्ट्रक्चर के डिजायन को लेकर भ्रमित न हो। ऐसी स्थिति में किसान कम्पनी से उनके पैनल स्ट्रक्चर के डिजायन के सर्टीफिकेट की मांग कर सकता है।
- किसान अपनी देखरेख में पम्प की स्थापना करवाएं। स्थापना के दौरान किसी प्रकार की संशय की स्थिति में किसान कम्पनी से पम्प स्थापना की ड्राईंग की मांग कर सकता है और अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।
- स्थापना करवाने के लिए किसान किसी भी प्रकार का खर्च वहन न करें तथा पम्प स्थापना के पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर ही किसान स्थापना प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- किसान का पम्प 5 वर्ष के लिए वारंटी में आता है। पम्प के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना पूर्ण रूप से निषेध है ऐसी स्थिति में पम्प की वारंटी समाप्त कर दी जाएगी।
- यह पम्प 5 वर्ष के लिए चोरी तथा प्राकृतिक आपदा से बीमा सुरक्षित है। पम्प लगने के बाद उसकी सुरक्षा सम्बन्धि पूर्ण जिम्मेवारी किसान की होगी। बीमा क्लेम की स्थिति में किसान को 7 दिन के अन्दर लिखित जानकारी आपके जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, आपकी चयनित कम्पनी तथा बीमा कम्पनी में देनी होगी। चोरी के क्लेम की स्थिति में 7 दिन के अन्दर एफ.आई.आर दर्ज करवानी होगी।
- यदि किसान लगाए गए पम्प को अपनी जगह से स्थानांतरित करता है या उसको बेचता है या उसका दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में किसान को सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राशि वापिस करनी होगी तथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी।

सोलर पम्पिंग के लिए क्षमता के अनुसार फर्म और किसानों की देय राशि की सूची:-

Sr. No.	Type and capacity of solar pump	Beneficiary share to be deposited	Name of Firms
1	3 HP DC, Surface (Monoblock) with Normal Controller	₹ 53,926	Alpex Solar Pvt Ltd AVI Appliances Pvt. Ltd. Dynamech Electropower Private Limited

			Ecozen Solutions Pvt Ltd
			Ethos Power Private Limited
			GK Energy Marketers Private Limited
			Himalayan Solar Private Limited
			KSB Ltd.
			Laxmi Agency
			Mira Energy Resources Private Limited
			Oneindig Technologies Private Limited
			Oswal Pumps Limited
			PCI Wires Pvt Ltd
			Premier Energies Limited
			Rotomag Motors & Controls Pvt. Ltd
			Shakti Pumps India Limited
			Span Pumps Private Limited
2	7.5 HP DC, Submersible with Normal Controller	₹ 1,13,629	Alpex Solar Pvt Ltd
			Australian Premium Solar India Pvt Ltd
			AVI Appliances Pvt. Ltd.
			C.R.I. Pumps Private Limited
			Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
			Duke Plasto Technique Private Limited
			Dynamech Electropower Private Limited
			Ecozen Solutions Pvt Ltd
			Ethos Power Private Limited
			Everrenew Energy Private Limited
			GK Energy Marketers Private Limited
			Himalayan Solar Private Limited
			Kosol Energie Pvt Ltd.
			KSB Ltd.
			Laxmi Agency
			Mira Energy Resources Private Limited
			Oneindig Technologies Private Limited
			Oswal Pumps Limited
			PCI Wires Pvt Ltd
			Premier Energies Limited
			PV Power Technologies Pvt Ltd
			Rotomag Motors & Controls Pvt. Ltd
			Shakti Pumps India Limited
			Span Pumps Private Limited
			Ultech Energies
3	10 HP DC, Submersible with Normal Controller	₹ 1,42,170	Alpex Solar Pvt Ltd
			AVI Appliances Pvt. Ltd.
			C.R.I. Pumps Private Limited
			Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
			Dynamech Electropower Private Limited
			Ecozen Solutions Pvt Ltd
			Ethos Power Private Limited
			Everrenew Energy Private Limited
			GK Energy Marketers Private Limited
			Himalayan Solar Private Limited
			Kosol Energie Pvt Ltd.
			Laxmi Agency
			Mira Energy Resources Private Limited
			Oneindig Technologies Private Limited
			Oswal Pumps Limited
			PCI Wires Pvt Ltd
			Premier Energies Limited
			PV Power Technologies Pvt Ltd
			Rotomag Motors & Controls Pvt. Ltd
			Shakti Pumps India Limited
			Span Pumps Private Limited
4	10 HP AC, Submersible with Normal Controller	₹ 1,40,759	Alpex Solar Pvt Ltd
			AVI Appliances Pvt. Ltd.
			C.R.I. Pumps Private Limited
			Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd
			Duke Plasto Technique Private Limited
			Dynamech Electropower Private Limited
			Ecozen Solutions Pvt Ltd
			Ethos Power Private Limited
			Everrenew Energy Private Limited
			Galo Energy Private Limited

1	3HP(DC, Submersible)	3000	114000	69000	45000	---	----
2	5HP(DC,Submersible)	4800	---	110400	72000	50400	---
3	7.5HP(DC,Submersible)	6750	----	155250	101250	70875	---
4	10 HP(DC,Submersible)	9000	----	207000	135000	94500	---
5	3HP(AC, Submersible)	3000	105000	63000	42000	-----	-----
6	5HP(AC,Submersible)	4800	-----	100800	67200	43200	-----
7	7.5HP(AC,Submersible)	6750	-----	141750	94500	60750	-----
8	10 HP(AC,Submersible)	9000	-----	189000	126000	81000	----
9	3HP(DC,Surface)	2700	297000 at 10m	148500 at 20m	----	-----	---
10	5HP(DC,Surface)	4800	528000 at 10m	264000 at 20m	182400 at 30m	-----	---
11	7.5HP(DC,Surface)	6750	742500 at 10m	371250 at 20m	256500 at 30m	-----	---
12	10HP(DC,Surface)	9000	99000 at 10m	495000 at 20m	342000 at 30m	-----	---

* Water output figures are on a clear sunny day with three times tracking of SPV panel, under the "Average Daily Solar Radiation" condition of 7.5 KWh/ sq.m. on the surface of PV array (i.e. coplanar with the PV Modules).

सोलर पंप की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट (<http://hareda.gov.in>) या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर जाएं।

नोट: अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष न. 0172-3504085 पर प्रातः 9:00 से 5:00 सांय बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।